विचारणीय-विषय
कौशल प्रयोगशाला मास्टर प्रशिक्षक (डॉक्टर)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र (एनएचएसआरसी), नई दिल्ली स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपर्युक्त पद को पूर्णतया संविदा आधार पर भरने हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है।

रिपोर्टिंग अधिकारीः उपायुक्त (मातृ स्वास्थ्य)

पर्यवेक्षण अधिकारीः राष्ट्रीय कौशल प्रयोगशाला के नोडल अधिकारी

कार्य स्थलः दिल्ली

प्रमुख कार्यः

कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षक कौशल प्रयोगशाला में तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए टीम के भाग के रूप में सेवा-पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कार्य करेगा तथा निगरानी एवं मूल्यांकन से संबंधी कार्यकलापों में परामर्शदाता का कार्य करेगा। वह सभी गतिविधियों के डाटा प्रवेश तथा डाटा बेस के रख-रखाव में मदद करेगा/करेगी। वह अपेक्षित राज्यों में इस कार्यक्रम हेतु आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करेगा/करेगी तथा कार्यक्रम प्रबंधन में सहयोग देगा/देगी।

कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षक अपने नोडल केन्द्र के संकाय व सेवा प्रदाताओं के प्रशिक्षण के सामयिक प्रावधान तथा क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करेगा, सौंपे गए राज्यों के राष्ट्रीय/राज्य नोडल केन्द्र को सहयोग देगा तथा अपेक्षित कौशलों के सुदृढ़ीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए परामर्शीय दौरा करेगा।

इस पद के लिए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, परिवार नियोजन तथा संगत भागों के साथ उत्तम व्यावसायिक कार्यों का अनुभव होना चाहिए।

तकनीकी एवं प्रशिक्षण (मुख्य) उत्तरदायित्व:

कौशल प्रयोगशाला मास्टर प्रशिक्षक के निम्नलिखित- परंतु इतने तक ही सीमित नहीं- उत्तरदायित्व होंगेः

- तकनीकी नवाचारों के साथ कौशल स्टेशनों की स्थापना तथा लेबर रूप के उन्नयन में सहायता प्रदान करना।
- प्रमुख तकनीकी कौशलों के अर्जन/पुनः प्रवर्तन तथा भारत सरकार प्रोटोकॉल के अनुसार आरएमएनसीएच+ए सेवाओं हेतु प्रशिक्षणार्थियों के ज्ञान को सुकर बनाना।
- कौशल मानकों के कार्यान्वयन के माध्यम से कौशल प्रयोगशाला के विशिष्ट स्थल में शैक्षिक एवं मूल्यांकन प्रक्रियाओं में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने को सुविधाजनक बनाना।
- कौशल प्रयोगशाला में प्रशिक्षण आयोजित करना तथा सुविधाजनक बनाना।
- लेबर रूम स्टाफ को नियमित एवं आवधिक परामर्श देने तथा लेबर रूम में संक्रमण रोकथाम प्रोटोकॉल का अनुपालन करने हेतु सुविधा प्रदान करना।
- ज्ञान एवं कौशलों के पोस्ट ट्रैकिंग ट्रांसफर में मास्टर प्रशिक्षकों/प्रशिक्षित संकाय को सहायता देने के लिए सौंपे गए संबद्ध राज्यों का परामर्शीय दौरा करना तथा निष्पादन मानकों का कार्यान्वयन करने में सहायता देना।
- आवश्यक प्रारूपों में प्रशिक्षित कार्मिकों का डाटाबेस तैयार करना व रख-रखाव करना।
- कौशल प्रयोगशाला द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार प्रशिक्षार्थियों के निष्पादन का मूल्यांकन करना तथा सभी प्रशिक्षार्थियों को सहयोगात्मक अगुआई करना।

- प्रशिक्षार्थियों के प्रशिक्षण व निष्पादन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कौशल प्रयोगशाला में आवधिक निगरानी/परामर्शीय दौरे आयोजित करना।
- संस्था पर्यवेक्षक के परामर्श के साथ गैर-कर्ताओं (प्रशिक्षार्थी) की पहचान करना।
- प्रत्येक राज्य के डिलीवरी प्वाइंट्स का डाटाबेस रखना।
- नोडल अधिकारी के परामर्श के साथ मेंटॉरिंग संस्थानों के वार्षिक लक्ष्य तैयार करना।
- अनिवार्य कौशल सीखने के लिए प्रशिक्षार्थियों के लिए अनुरूप वातावरण तैयार करना।
- उनके सौंपे गए कौशल स्टेशन में पुतलों व अन्य औजारों व उपकरण के रख-रखाव को सुनिश्चित करना।
- उनके कौशल स्टेशन में किसी ब्रेकैज या मदों की कमी की सूचना देना।
- नोडल अधिकारी को अग्रिम रूप में यात्रा योजना व यात्रा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- कौशल प्रयोगशाला में कोई प्रशिक्षण आयोजित न होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी एसजेएच/एलएचएमसी में पदस्थ होने पर केवल कार्य घंटों के दौरान ही दौरों के माध्यम से कार्य-परिपाटी में अंतराल का अवलोकन करेगा।

अन्य कार्य/उत्तरदायित्व:

- नोडल केन्द्र तथा एम एंड ई संरचनाओं के अन्य संकेतकों में प्रशिक्षणों की निगरानी करना।
- लेबर रूम के स्टाफ से नियमित मुलाकात करना तथा तकनीकी प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में उन्हें सहायता देना।
- राष्ट्रीय/राज्य नोडल केन्द्रों में प्रशिक्षणों से संबंधी सभी संबद्ध कार्यकलापों को सुविधाजनक बनाना।
- नोडल केन्द्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रयोगशाला में पर्यवेक्षक द्वारा सौंपे जाने वाले अन्य कार्य करना व मानना।
- पर्यवेक्षक को अपडेट करने के लिए कौशल प्रयोगशाला टीम के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

अनिवार्य अर्हता एवं अनुभवः

व्यक्ति विनिर्देशः- राष्ट्रीय आरएमएनसीएच कौशल प्रयोगशाला प्रशिक्षक (डॉक्टर) अधिकारी के पास निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं एवं अनुभव होना चाहिए।

शैक्षिक प्रशिक्षण अर्हताः

- **आरएमएनसीएच+ए क्षेत्र में 3 वर्षीय कार्य अनुभव के साथ एमबीबीएस***

  अथवा

  ऑब्सटेट्रिक्स व प्रसूतिशास्त्र के अनुभव के साथ डिप्लोमा*

  एमबीबीएस के बाद किसी भी क्षेत्र में स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री

*चिकित्सा परिषद की पंजीकरण अपेक्षाओं को पूरा करते हुए।

अनुभवः-

अनिवार्य अनुभवः- मातृ व नवजात शिशु स्वास्थ्य का क्लिनिकल फील्ड अनुभव। शिक्षण में अनुभव।

वांछनीय अनुभवः आरएमएनसीएच+ए कार्यक्रम में तकनीकी सहायता/परामर्श प्रदान करने का अनुभव। शिक्षण अनुभव।

संप्रेषण कौशलः उत्तम पारस्परिक कौशल; प्रभावी व्यावहारिकता एवं प्रशिक्षण देने की योग्यता के साथ आत्मविश्वासी संचारक, उत्तम फेसिलिटेशन व कोचिंग कौशल, टीम सदस्य के रूप में कार्य करने की योग्यता, सर्वोत्तम समय प्रबंधन व संगठनात्मक कौशल; सरकारी व्यवस्था में कार्य करने की सुदृढ़ प्रेरणा; अंग्रेजी व हिंदी में सुदृढ़ लिखित व मौखिक संचार

कौशल; राष्ट्रीय कार्यक्रम टीम के अंदर कार्य करने की योग्यता व विभिन्न प्रकार के टीम सदस्यों से नियमित रूप से संपर्क बनाए रखना।

कंप्यूटर कौशल : एमएस वर्ड,एक्सल व पावर प्वांइट प्रेजेंटेशन सहित एमएस ऑफिस में कुशल: एक बेसिक डेटाबेस बनाए रखने की योग्यता ।

वांछित दक्षताएं:

- संबंधित कार्यक्रमों में से किसी में भी तकनीकी/सहायता/परामर्श प्रदान करने का अनुभव
- आरएमएनसीएचटीए से संबंधित क्षेत्र में अद्यतन प्रगति की अच्छी जानकारी।

आयु सीमा: 45 वर्ष से कम। उचित अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

वेतन की पेशकश : रु.60,000/- से रु 82,000/- रुपये प्रति माह

नियुक्ति की प्रकृति : कुशल प्रयोगशाला मास्टर ट्रेनर (डॉक्टर) की नियुक्ति आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर होगी (संतोषजनक निष्पादन के अधीन) तथा निष्पादन के आधार पर आगे वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है। तिमाही आधार पर नियमित मूल्यांकन।

छुट्टी :

प्रतिवर्ष 12 दिनों की चिकित्सा छुट्टी । 2 कार्य दिवसों से अधिक चलने वाली किसी भी चिकित्सा छुट्टी को किसी डॉक्टर के प्रमाणपत्र से साबित करना होगा।

यात्रा : पदधारक को रोजगार अवधि की 30 प्रतिशत तक यात्रा करनी होगी

आवेदन कैसे करें: कैंडिडेट्स को अनुरोध किया जाता हैं के वह निर्धारित आबेदन पत्र को डाउनलोड करे और विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र के ई-मेल rch.recruitment@nhsrcindia.org में दिनांक **06-Jan-2017** को अपराह्न्न **4** बजे तक **अवश्य** भेज दे। केवल निर्धारित **संलग्न आवेदन पत्र** में ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।